रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266307
CG-DL-E-23092025-266307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4122]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947
No. 4122]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

का.आ. 4240(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. ११४२(अ), तारीख १२ मार्च २०२५, जो भारत के असाधारण राजपत्र, संख्या ११२९ भाग II,खण्ड (3), उप-खण्ड(ii) तारीख १२ मार्च २०२५, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में कांडला से उत्तरप्रदेश राज्य मे गोरखपुर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सम्बन्धित जनता को तारीख १८ मार्च २०२५ तक उपलब्ध करा दी गई थी । और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री अवलाभाई खतराभाई बारीआ सेवानिवृत प्रांत अधिकारी / नायब कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , आई.एच.बी. लिमिटेड ,कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, वडोदरा (गुजरात) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिर्पाट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतय: उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची				
तालुका: – कडी	जिला: – महेसाणा	राज्य: गुजरात		
गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
डांगरवा	2611	00	10	98
	2608	00	10	00
	2609	00	01	00
बलासर	375	00	05	03
	1924 रोड	00	01	21
चंद्रासण	349	00	00	25
	348	00	00	46
	1689	00	00	26
	1702	00	01	16
	1687	00	00	80
	1683	00	00	39
	1622	00	12	91
	1685	00	03	60

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-भाग (1)/ई-45901]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2025

S.O. 4240(E).— whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published Vide Gazette No.1129 PART II—Section 3 Sub-section (ii) dated 12 March 2025, S.O. No. 1142(E) dated 12 March 2025 issued under sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Taluka – Kadi, District Mehsana in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the State Uttar Pradesh by the IHB Ltd. for implementing the "Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project"

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the concerned public up to 18.03.2025 And whereas, Mr. Avalabhai Khatarabhai Baria, Retired Prant Officer/ Deputy Collector, Competent Authority, IHB Ltd, Kandla Gorakhpur L.P.G. Pipeline Project, Vadodara (Gujarat) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Taluka:- Kadi	**District:- :- Mehsana**		**State :- Gujarat**		
Sl. No.	**Name of the Village**	**Khasara No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Sq.mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Dangarva	2611	00	10	98
		2608	00	10	00
		2609	00	01	00
2	Balasar	375	00	05	03
		1924 Road	00	01	21
3	Chandrasan	349	00	00	25

		348	00	00	46
		1689	00	00	26
		1702	00	01	16
		1687	00	00	80
		1683	00	00	39
		1622	00	12	91
		1685	00	03	60

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part(1)/E-45901]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.23 15:55:42 +05'30'